To Remove the Illegal Construction

728. **SH. NEERAJ SHARMA, M.L.A**: Will the Chief Minister be pleased to state –

a) the present map of the Delhi-Mumbai-Vadodara Expressway which is likely to be passed from Faridabad bye pass togetherwith the map which was proposed earlier before the present map; and

b) The present status of removing illegal constructions from Sector 13-14 dividing road (BPTP Chowk) to Sector 8-9 dividing road on the land of HSVP, Faridabad and Irrigation Department togetherwith the time by which these illegal constructions are likely to be removed ?

MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER, HARYANA

---

a) Faridabad bypass is part of DND-Faridabad-Sohna National Highway (NH-148NA). Alignment of Faridabad bypass according to concession agreement is attached at Annexure-A. Haryana Government had consented to provide land already available with HSVP free of cost to NHAI and had also consented to bear cost of any additional land acquisition for providing 70 meter ROW. Demarcation along the proposed alignment is ongoing and variation in alignment, if required, shall be carried out according to demarcation report. Therefore, final alignment is yet to be formulated and the same shall be formulated on the basis of demarcation report.

b) HSVP has removed maximum encroachment on the land of HSVP and balance encroachments are scheduled to be removed on 19.03.2022. The encroachments on the land of Irrigation and Water Resources Department will be removed by 30.04.2022.

अवैध निर्माणों को हटाना

728. **श्री नीरज भार्मा, एम.एल.ए.:** क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः

(क) दिल्ली–मुम्बई–वडोदरा एक्सप्रेस–वे का वर्तमान नक ाा क्या है जिसके फरीदाबाद बाई–पास से गुजरने की संभावना है तथा वर्तमान नक ो से पहले प्रस्तावित नक ाा क्या था; तथा

(ख) हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद तथा सिंचाई विभाग की भूमि पर सैक्टर 13–14 विभाजित सड़क (बी.पी.टी.पी. के चौक) से सैक्टर 8–9 विभाजक सड़क पर अवैध निर्माणों को हटाने की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इन अवैध निर्माणों को कब तक हटाये जाने की संभावना है ?

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा।

(क) फरीदाबाद बाईपास डी.एन.डी.–फरीदाबाद–सोहना राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.–148एन.ए.) का हिस्सा है। रियायत समझौते के अनुसार फरीदाबाद बाईपास का संरेखण अनुबंध–ए में संलग्न है। हरियाणा सरकार ने एच.एस.वी.पी. के पास पहले से उपलब्ध भूमि एन.एच.ए.आई. को मुफ्त उपलब्ध कराने की सहमति दी थी और 70 मीटर आर.ओ.डब्ल्यू. प्रदान करने के लिए किसी भी अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की लागत वहन करने की भी सहमति दी थी। प्रस्तावित संरेखण के साथ सीमांकन जारी है और यदि आवश्यक हो तो संरेखण में बदलाव सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार किया जाएगा। इसलिए, अंतिम संरेखण अभी तक तैयार नहीं किया गया है और इसे सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया जाएगा।

(ख) एच.एस.वी.पी. ने एच.एस.वी.पी. की भूमि पर अधिकतर अतिक्रमणों को हटा दिया है और शेष अतिक्रमणों को 19.03.2022 तक हटाने के लिए अनुसुचिबद्ध है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की भूमि पर 30.04.2022 तक अतिक्रमण हटा दिया जायेगा।